न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 01/2013
(आरसीएमएस न0 2013/00001)

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1—अशोक कुमार पुत्र रामभरोसी जाति वैश्य निवासी गंज पुरानाशहर धौलपुर
2—कमलेश पुत्री रामभरोसी पत्नी रोशनलाल जाति वैश्य निवासी गंज पुरानाशहर धौलपुर हाल निवासी मुम्बई
3—रामअवतार पुत्र हरीशचन्द जाति वैश्य निवासी चौबदार मौहल्ला खंरजा रोड धौलपुर
4—सन्तोष पुत्र हरीशचन्द जाति वैश्य निवासी चौबदार मौहल्ला खंरजा रोड धौलपुर हाल निवासी भोपाल
5—मंजू पुत्री हरीशचन्द पत्नी मनोजकुमार जाति वैश्य निवासी चौबदार मौहल्ला खंरजा रोड धौलपुर हाल निवासी भोपाल " मृत "
(1) सन्दर्भ पुत्र मनोज व उन्नती पुत्री मनोज नाबालिक सरपरस्ती पिता खुद हाल निवासी भोपाल
6—महावीर प्रसाद पुत्र किरोरीलाल जाति वैश्य निवासी चौबदार मौहल्ला खंरजा रोड धौलपुर हाल बाग भवासाहव धौलपुर .....अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थीगण की ओर से — श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट

निर्णय दिनांक 23.08.2018

तहसीलदार धौलपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि श्रीमान जिला

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक प–15(1)(3)राजस्व/91/289 दिनांक 14.01.1998 की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 17.1.1998 से खसरा नम्बर 171 रकवा 12 वीधा 05 विस्वा गैर मुमकिन आबादी माचिस फैक्ट्री के बजाय सिवायचक लगानी बारानी दोयम स्वीकृत हुई। मुताविक निर्णय न्यायालय श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर की अपील संख्या 92/2002 (75 भू–राजस्व अधिनियम) निर्णय दिनांक 11.7.2003 की अनुपालना में उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 31.12.2003 से पुनः माचिस फैक्ट्री के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थीगण 1 लगा0 5 के पूर्वज हरीशचन्द रामभरोसी व अप्रार्थी संख्या–6 महावीर प्रसाद द्वारा कूट रचित तरीके से उक्त भूमि का माचिस फैक्ट्र के साथ–साथ अपना नाम बतौर मालिक जरिये नामान्तकरण संख्या 487 दिनांक 13.5.2005 के द्वारा अपने नाम स्वीकार करा लिये गये जो कि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। यह है कि नामान्तकरण संख्या 494/7.12.2005 व नामान्तकरण संख्या 496/29.12.2005 व नामान्तकरण संख्या 507/12.9.2006 द्वारा रामभरोसी पुत्र किरोरीलाल की विरासत/रिलीज डीड स्वीकार हुई है एवं नामान्तकरण संख्या 522/31.1.2008 व नामान्तकरण संख्या 525/10.5.2008 द्वारा हरीशचन्द पुत्र किरोरीलाल की विरासत/रिलीजडील स्वीकार हुई है। वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1लगा06 मौजूद है जिन्हें अप्रार्थी बनाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील पोलिशिंग एवं कटिंग मशीन जरिये निदेशक बनाम हरीशचन्द वैश्य में आर्डरशीट दिनांक 23.3.2009 से विवादित आराजी की मण्डल के अन्य आदेश होने तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश जारी है। इस प्रकार ग्राम फतिहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 171 रकवा 12 वीधा 05 विस्वा किस्म बरानी दोयम को अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.7.2003 के विपरीत जरिये नामान्तकरण संख्या 478 व 487 के द्वारा श्री रामभरोसी, हरीशचन्द, महावीरप्रसाद पिसरान किरोरीलाल जाति वैश्य द्वारा उक्त भूमि को गलत एवं नियमों के विपरीत अनियमित तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने की नीयत से एवं भूमि को खुर्द–वुर्द करने के लिये अपने नाम नामान्तकरण स्वीकृत कराये गये है जो रैफरेन्स योग्य है। अतः नामान्तकरण संख्या 478 एवं 487 बांके ग्राम फतिहाबाद तहसील धौलपुर को निरस्त करने एवं न्यायालय श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.7.2003 से पूर्व की स्थिति (सिवायचक लगानी) राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण स्वीकार किया जावे।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र रैफरेन्स का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 171 रकवा 12 बीघा 5 विस्वा बांके ग्राम फतिहावाद तहसील धौलपुर की भूमि किरोरीलाल एण्ड सन्स द्वारा क्रय की गई थी जिस पर बहैसियत मालिक काबिज थे उक्त आराजी गैर मुमकिन आवादी दर्ज रिकार्ड थी जिसे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय ने अवैध रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया था जिसे न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर ने निरस्त कर दिया तथा भूमि को पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है जिसके बिरूद्व तहसीलदार धौलपुर द्वारा उपरोक्त रैफरेन्स खिलाफ कानून प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है। प्रार्थना पत्र में यह तथ्य सही है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक प–15(1)(3)राजस्व/91/289 दिनांक 14.01.1998 की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 17.1.1998 से खसरा नम्बर 171 रकवा 12 वीघा 05 विस्वा गैर मुमकिन आबादी माचिस फैक्ट्री के बजाय सिवायचक लगानी बारानी दोयम स्वीकृत हुई लेकिन यह आदेश किरोरीलाल के पुत्र रामभरोसी, हरिशचन्द एवं महावीर को स्वीकार नहीं था इसलिये इससे व्यथित होकर उन्होने एक सिविल रिट पिटीसन नम्बर 2812/1998 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में पेश की थी जिसमें निर्णय होकर आदेश हुआ कि प्रार्थीगण श्रीमान जिला कलक्टर के निर्णय के विरूद्व दीवानी न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा का दावा करने के लिये स्वतंत्र है यदि पिटीसनर दिनांक 14.1.1998 के पत्र जो जिला कलक्टर द्वारा जारी किया गया है जिसमें राजस्व रिकार्ड में भूमि को सिवायचक दर्ज किया है से एग्रीब्ड है तो वह रेवन्यू कोर्ट में इस आदेश को चेलेंन्ज कर सकते है और अगर अपने अधिकार एवं टाईटल सिद्व करने में सफल होते है तो राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती कराने के लिये स्वतंत्र है इसलिये उन्होने श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 14.1.1998 के विरूद्व न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये दिनांक 11.7.2003 को जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 14.1.1998 को निरस्त कर दिया जिसकी पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा पुनः भूमि को गैर मुमकिन आवादी माचिस फैक्ट्री मालिक अशोक कुमार वगैरा दर्ज किया जो सही है ये इन्द्रांज वैध इन्द्रांज है जिन्हें अभी तक किसी भी न्यायालय द्वारा हटाने के आदेश नहीं किये है। रामभरोसी, हरीशचन्द एवं महावीरप्रसाद ने कूट रचना से नामान्तकरण संख्या 437 दिनांक 13.5.2005 अपने नाम से स्वीकार नहीं कराये है बल्कि तहसीलदार धौलपुर ने माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय के मुताबिक बिक्रयपत्र के आधार पर किरोरीलाल एण्ड संन्स के स्थान पर पूर्ण जॉच करने के पश्चात प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया है जो सही है इस नामान्तकरण के विरूद्व रैफरेन्स नहीं किया जा सकता क्योकि यह नामान्तकरण श्रीमान न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया है। श्रीमान न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर न्यायालय श्रीमान का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है इसलिये

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय श्रीमान जी को रैफरेन्स करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में बिचाराधीन अपील पोलशिंग एंव कटिंग मशीन जरिये निदेशक बनाम हरिचन्द वगैरा दिनांक 17.8.2017 को खारिज हो चुकी है जिसमें राजस्थान राज्य की ओर से सरकारी बकील श्री पुष्पेन्द्रसिंह जी भी उपस्थित रहे थे इसलिये वर्तमान में बिवादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन नहीं है। उत्तरदाता 1लगा04 के दादा एवं 5 व 6 के नाना तथा 7 के पिता किरोरीलाल की एक रजिस्टर्ड फर्म किरोरीलाल एण्ड संन्स थी जिसके पार्टनर रामभरोसीलाल, हरिशचन्द एवं महावीरप्रसाद थे। एक दावा फर्म की ओर से उनवानी मैसर्स किरोरीलाल एण्ड संन्स धौलपुर बनाम रबीन्द्रसिंह के नाम से न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर में बिवादग्रस्त भूमि को किरायेदार से खाली कराने एवं बकाया किराये की बसूली हेतु प्रस्तुत किया जिसमें श्रीमान न्यायालय ने मैसर्स किरोरीलाल एण्ड संन्स को मालिक मानते हुये रबीन्द्रसिंह से कब्जा प्राप्त करने एवं बकाया किराया अदा करने की डिक्री दिनांक 17.11.1993 को की इस प्रकार उत्तरदातागण के नाम हो रहे इन्द्रांज सही एवं विधिवत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक प–15(1)(3)राजस्व/91/289 दिनांक 14.01.1998 की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 17.1.1998 से प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन आबादी माचिस फैक्ट्री के बजाय सिवायचक लगानी बारानी दोयम स्वीकृत हुई। मुताविक निर्णय न्यायालय श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.7.2003 की अनुपालना में उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 31.12.2003 से पुनः माचिस फैक्ट्री के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थीगण 1 लगा0 5 के पूर्वज हरीशचन्द रामभरोसी व अप्रार्थी संख्या–6 महावीर प्रसाद द्वारा कूट रचित तरीके से उक्त भूमि का माचिस फैक्ट्र के साथ–साथ अपना नाम बतौर मालिक जरिये नामान्तकरण संख्या 487 दिनांक 13.5.2005 के द्वारा अपने नाम स्वीकार करा लिये गये जो कि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पोलिशिंग एवं कटिंग मशीन जरिये निदेशक बनाम हरीशचन्द वैश्य विचाराधीन है इस प्रकार प्रश्नगत भूमि किस्म बरानी दोयम को अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.7.2003 के विपरीत जरिये नामान्तकरण संख्या 478 व 487 के द्वारा श्री रामभरोसी, हरीशचन्द, महावीरप्रसाद पिसरान किरोरीलाल जाति वैश्य द्वारा उक्त भूमि को गलत एवं नियमों के विपरीत अनियमित तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने की नीयत से एवं भूमि को

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

खुर्द–वुर्द करने के लिये अपने नाम नामान्तकरण स्वीकृत कराये गये है जो रैफरेन्स योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में माचिस फैक्ट्री बनी हुई थी जिसे अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष किरोरीलाल की फर्म किरोरीलाल एण्ड सन्स ने दिनांक 21.4.1976 को धौलपुर इन्डस्ट्रीयल एण्ड मरकेंटाईल कोरपरेशन लि. से क्रय किया था तभी से किरोरीलाल एण्ड संन्स इस यूनिट पर वहैसियत स्वामी आधिपत्यधारी रहीं और अपना कारोवार करती रही भूमि गैर मुमकिन आवादी दर्ज थी। कुछ लोगो को छोटे–छोटे कारोवार करने के लिये किराये पर इस भूमि में से देदी। किरायेदार की नियत में फर्क आ गया और उन्होने किराया देना बन्द कर दिया तथा भूमि से कब्जा भी नहीं छोडा तब किरोरीलाल एण्ड संन्स ने कुछ लोगों को तो अपनी मर्जी से हटा दिया लेकिन रबिन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह ने ना तो किराया दिया नाही भूमि खाली की जिसके लिये किरोरीलाल एण्ड संन्स द्वारा न्यायालय मुन्सिफ एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर में किरोरीलाल एण्ड संन्स बनाम रबिन्द्रसिंह के नाम दावा दायर किया जिसमें किरोरीलाल एण्ड सन्स को मालिक मानते हुये दिनांक 17.11.1993 को रबिन्द्रसिंह को भूमि खाली करने एवं किराया बसूल करने की डिक्री पारित की। इस बात से कुछ लोगें ने नाराज होकर गलत एवं असत्य कथन करते हुये शिकायत की जिसके आधार पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय ने बिना सुनवाई किये बिना किसी अधिकार के गैर मुमकिन आवादी से फर्म को दिनांक 14.1.1998 को सिवायचक दर्ज करने के आदेश कर दिये। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 14.1.1998 से व्यथित होकर रामभरोसीलाल वगैरा ने एक सिविल रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में रामभरोसीलाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के नाम से सिविल रिट पिटीसन नम्बर 2812/1998 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय करते हुये कि पिटीसनर सिविल न्यायालय में अपने स्वत्व एवं टाईटल की घोषणा के लिये वाद दायर कर सकते है अगर पिटीसनर जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 14.1.1998 से एग्रीब्ड है तो इसके विरूद्व राजस्व न्यायालय में कार्यवाही कर सकते है इस प्रकार दिनांक 20.8.1996 को सिविल रिट खारिज करदी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मुताबिक निर्णय रामभरोसी वगैरा एवं अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर में श्रीमान जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 14.1.1998 के विरूद्व अपील करदी जिसे माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर ने स्वीकार कर दिनांक 11.7.2003 को जिला कलेक्टर महोदय के आदेश को निरस्त कर दिया एवं पुनः गैर मुमकिन आवादी एवं प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश कर दिये। माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 478 एव 487 तहसीलदार धौलपुर द्वारा

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

तस्दीक किये गये है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा उपरोक्त नामान्तकरण विधिवत तरीके से दिनांक 21.4.1976 के बिक्रयपत्र एवं माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा जॉच कर आई.एल.आर. से प्रमाणित होने के पश्चात तस्दीक किये गये है। माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.7.2003 के बिरूद्व पोलिसिंग कटिंग मशीन जरिये निदेशक एवं प्रबन्धक रविन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह धौलपुर बनाम हरीशचन्द बगैरा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत हुई जिसमें राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाया गया, राजस्थान राज्य की ओर से राजकीय उप अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह ने पैरबी की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने द्वितीय अपील को दिनांक 17.8.2017 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्व आज तक कोई कार्यवाही उच्च न्यायालय में नहीं हुई है। इस प्रकार माननीय न्यायायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय आदिनांक तक विधिक रूप से अस्तित्व में है एवं किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हुआ है साथ ही विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस यह भी अवगत कराया कि प्रकरण के सम्बध में एक अन्य अपील अभी भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। न्यायालय श्रीमान जी को मात्र अपने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या निर्णय के बिरूद्व रैफरेंस करने का अधिकार है अपने से हायर कोर्ट द्वारा किये गये निर्णय की पालना में किये गये नामान्तकरण या इन्द्राजात को निरस्त करने के लिये रैफरेंस करने का न्यायालय श्रीमान जी को अधिकार नहीं है इस प्रकार का मत माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा आर.एल.डब्लू 2008(1)आर.जे. पेज 482 पर क्लासिक मर्चेन्ट प्रा.लि. बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में प्रतिपादित किया गया है। प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आवादी दर्ज है जिसके विरूद्व धारा 207 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान को रैफरेन्स करने का अधिकार नहीं है इसके विरूद्व कार्यवाही मात्र सिविल न्यायालय में की जा सकती है। सिविल न्यायालय से पहले ही अप्रार्थीगण उत्तरदातागण के हक में निर्णय हो चुका है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा गलत एवं असत्य कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है राजस्व मण्डल के स्थगन के बारे में प्रार्थना पत्र में लिखा है जो गलत है। राजस्व मण्डल में दिनांक 17.8.2017 को निर्णय हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के आदेश क्रमांक प–15(1)(3)राजस्व/91/289 दिनांक 14.01.1998 की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 17.1.1998 से खसरा नम्बर 171 रकवा 12 वीधा 05 विस्वा गैर मुमकिन आबादी माचिस फैक्ट्री के बजाय सिवायचक

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

लगानी बारानी दोयम स्वीकृत हुई है लेकिन यह आदेश किरोरीलाल के पुत्र रामभरोसी, हरिशचन्द एवं महावीर को स्वीकार नहीं था इसलिये इससे व्यथित होकर उन्होने एक सिविल रिट पिटीसन नम्बर 2812/1998 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में पेश की थी जिसमें दिनांक 20.8.1999 को निर्णय होकर आदेश हुआ कि प्रार्थीगण श्रीमान जिला कलक्टर के निर्णय के विरूद्व दीवानी न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा का दावा करने के लिये स्वतंत्र है यदि पिटीसनर दिनांक 14.1.1998 के पत्र जो जिला कलक्टर द्वारा जारी किया गया है जिसमें राजस्व रिकार्ड में भूमि को सिवायचक दर्ज किया है से एग्रीब्ड है तो वह रेवन्यू कोर्ट में इस आदेश को चेलेंन्ज कर सकते है और अगर अपने अधिकार एवं टाईटल सिद्व करने में सफल होते है तो राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती कराने के लिये स्वतंत्र है।

श्रीमान जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.1.1998 के विरूद्व अपील संख्या 92/2002 उनवानी हरीशचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर, न्यायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये दिनांक 11.7.2003 को जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.1.1998 निरस्त कर दिया जिसमें विवादित आराजी को आवादी की माना गया जिसकी पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा पुनः भूमि को गैर मुमकिन आवादी माचिस फैक्ट्री नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 31.12.03 एवं नामान्तकरण संख्या 487 दिनांक 11.5.2005 अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दिया गया। न्यायालय श्रीमान आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.7.2003 के विरूद्व अपील संख्या 1880/2009 उनवानी पोलिसिंग एवं कटिंग मशीन जरिये निदेशक एवं प्रबन्धक रविन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह बनाम हरीशचन्द्र वगैरा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई जिसमें राजस्थान सरकार पक्षकार थी जो दिनांक 17.8.2017 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज की जा चुकी है जिसमें उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थीगण की आबादी की भूमि होना माना गया। इसके अतिरिक्त एक दावा फर्म की ओर से उनवानी मैसर्स किरोरीलाल एण्ड संन्स धौलपुर बनाम रबीन्द्रसिंह के नाम से न्यायालय श्रीमान मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर में बिवादग्रस्त भूमि को किरायेदार से खाली कराने एवं बकाया किराये की बसूली हेतु प्रस्तुत किया जिसमें श्रीमान न्यायालय ने मैसर्स किरोरीलाल एण्ड संन्स को मालिक मानते हुये रबीन्द्रसिंह से कब्जा प्राप्त करने एवं बकाया किराया अदा करने की डिक्री दिनांक 17.11.1993 को जारी की गई।

इस प्रकार जब उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 17.8.2017 को निर्णित हो चुका है जिसमें विवादित भूमि को आबादी की भूमि होना एवं

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 14.1.1998 को क्षेत्राधिकार से वाहर जारी होना प्रमाणित पाया गया है, तो पुनः बिना पुख्ता आधार के रैफरेन्स करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्व कोई कार्यवाही उच्च न्यायालय में हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार माननीय न्यायायालय आर0ए0ए0 भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय अभी भी अस्तित्व में है एवं उसे किसी सक्षम न्यायालय ने अपास्त नहीं किया गया है। आर.ए.ए. के निर्णय दिनांक 11.7.2003 के विरूद्व अपील नहीं हुई जिसके द्वारा जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 14.1.1998 क्षेत्राधिकार के वाहर का माना जाकर निरस्त किया गया। आज तक आर.ए.ए. का निर्णय दिनांक 11.7.2003 सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं होता है अथवा 14.1.1998 के आदेश में मुताविक निर्णय आर.ए.ए. 11.7.2003 अपेक्षित कमियां दूर होकर कार्यवाही नहीं होती है तब तक आर.ए.ए. का निर्णय दिनांक 11.7.2003 प्रभावी रहेगा एंव इस न्यायालय को मात्र अपने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या निर्णय के बिरूद्व रैफरेंस करने का अधिकार है, अपने से हायर कोर्ट द्वारा किये गये निर्णय की पालना में किये गये नामान्तकरण या इन्द्राजात को निरस्त करने के लिये रैफरेंस करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। इस प्रकार का मत माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा आर.एल.डब्लू 2008(1)आर.जे. पेज 482 पर क्लासिक मर्चेन्ट प्रा.लि. बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में प्रतिपादित किया गया है।

प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। जिसके विरूद्व धारा 207 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय को रैफरेन्स करने का अधिकार नहीं है। इसके विरूद्व कार्यवाही मात्र सिविल न्यायालय में की जा सकती है। सिविल न्यायालय से उपरोक्त विवेचनानुसार पूर्व में ही अप्रार्थीगण के हक में निर्णय हो चुका है। जिसमें अप्रार्थीगण का मालिकाना हक माना गया है साथ ही जब प्रकरण के संबध में वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल में एक अन्य अपील विचाराधीन है तो वर्तमान परिस्थितियों में एक अन्य वादकरण/रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल को भेजकर ~~multiplicity~~ Legal proceding करने का कोई औचित्य नहीं है, अपितू रैफरेन्सकर्ता तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में लम्बित अपील में राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से रखें एवं प्रकरण में अपेक्षित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त रैफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः सरकार बनाम माचिस फैक्ट्री
मालिक अशोक कुमार वगैरा
रैफरेन्स संख्या 01/2013

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner